रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 1970/ज्येष्ठ 22, 1892

No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 1970/JYAISTHA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Mines and Metals)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th June 1970

No. 3(6)/69-Met. I.—In pursuance of the Tariff Commission's Report (1966) on Fair Selling Price of Antimony, the Government of India has been fixing the fair selling price of antimony metal produced by M/s. Star Metal Refinery, the only manufacturers of antimony in the country. In November, 1968, the Tariff Commission stated that an enquiry into the fixation of antimony price again was considered necessary. The Tariff Commission was, therefore, requested under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951 to enquire into the fair price for the antimony metal produced by the Company and to evolve a procedure formula for determining the extent of price increase and submit a report to Government.

2. The Tariff Commission submitted its report on the Fair Selling Price of Antimony on the 21st June, 1969, wherein the following recommendations have been made:—

(i) "We recommend that intensified efforts may be made to improve recovery of metal from the ore in consultation with the N.M.L. and other suitable agencies."

(ii) "The present (1969) demand of the battery makers is placed at 350 tonnes with an increase of the order of about 10 to 20 per cent per year over the next five years. The demand in 1969 of other industries, namely alloy makers, Government Departments and miscellaneous consumers including type foundries could be put at 250, 350 and 50 tonnes respectively. The growth of demand in respect of these items is estimated to range from between 5 to 10 per cent per year over the next five years. The estimate of future demand would thus be 1000 tonnes for 1969, 1100 to 1175 tonnes for 1970 and 1175 to 1275 tonnes for 1971."

(iii) "Some time ago the company had obtained a small consignment of Iranian ore by private negotiation. Here, we feel, may be some scope for Government to Government negotiation. We would also support the suggestion made by the Sub-Group III of the Planning Group of Non-Ferrous Metals, that it might be worthwhile to explore a possibility of coming to an agreement or working arrangement with mine owners abroad, who do not have their own smelters for refining their ore, to refine and re-export the ore in the form of metal on toll basis on their behalf while at the same time, securing supplies for our internal requirements of ore from the same sources."

(iv) "It was stated at the public inquiry that two to three years contracts (for purchase of ore) are a practicable proposition and Government is aware of this possibility. We suggest that the feasibility of concluding such long term contracts should be thoroughly explored."

(v) "Whether an institution like the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., would be in a better position to secure supplies of ore for this industry on a long term basis and on decidedly more favourable terms would also need some exploration."

(vi) "We have worked out the future costs at levels of production based on our estimates of demand for the current and the next two years and expected that Government would take steps to allocate foreign exchange accordingly."

(vii) "We recommend that the price for July-December, 1969, be fixed at Rs. 10,312 per tonne or Rs. 10.31 per Kg. We further recommend that the price to be fixed for antimony at half-yearly intervals for the years 1970 and 1971 may also be calculated on the lines indicated by us in the foregoing paragraph but subject to the adjustments referred to in paragraph 10:8 and its sub-paras."

(viii) "During the price period should there be any change in the level of duties on ore suitable adjustments will have to be made."

(ix) "There may be occasions when variations might occur both in ore prices and duty rates. In such cases, besides effecting the changes indicated in paragraph 10.8, 10.8.1 and 10.8.2 above, it will be necessary to make at futher proportionate change in the existing duty component of Rs. 2,543 already included in the quantum of Rs. 11.5 per tonne of matal for very one cent variation in the ore price."

(x) "It is recommended that every contract made should be registered with the proper Officer of the Ministry of Mines and Metals within 30 days of its being made. The Ministry might also consider whether in addition to these quotations, it should not request our concerned Missions abroad to keep it regularly posted, say at monthly or quarterly intervals, of the movement of market prices of ore and antimony metal from some of the principal suppliers."

(xi) "At the conclusion of every six months the company should submit a complete statement supported by a certified copy of the Customs Bill of Entry or an Auditor's Certificate indicating the actual imports and c.i.f. prices paid against each of these contracts during that period."

(xii) "If the present practice of announcing prices in the months of January and July is continued then the registration of contracts and the submission of the six-monthly return should be timed between 30-45 days ahead of this period in order to maintain this schedule. The average contracted prices of ore from June to November and from December to May may be adopted for price fixation for the period from July to December and from January to June respectively, subject to any adjustment which may be necessitated by changes in fiscal levies."

(xiii) "We find that in many cases contracts have been entered into at prices appreciably higher than the ruling market prices though in the current set of contracts for the year 1969 the disparity is negligible. This is a point which, we thought, was relevent and worth pointing out and one of which the Ministry may keep a close watch while registering contracts and approving price variations in future."

3. The Government have taken note of the recommendation (i) and will bring it to the notice of the National Metallurgical Laboratory.

4. The Government have taken note of the recommendations (ii), (iv), (vi), (x), (xi) (xii), (xiii) and steps will be taken to implement them to the extent possible.

5. The Government have taken note of the recommendations (iii) and (v) and will bring them to the notice of the Minerals and Metals Trading Corporation.

6. The Government have given careful consideration to recommendations (vii), (viii) and (ix) and having regard to the circumstances, have accepted them, subject to the following modification.

In calculating the fair selling price of antimony produced by M/s. Star Metal Refinery Pvt., Ltd., the provision for depreciation allowance should be limited to two-shift working and the return on capital employed restricted to 12 per cent

Accordingly, the price for July-December 1969 is fixed at Rs. 10.207 per tonne or Rs. 10·21 per Kg. Further, as a result of the margin of return being kept at 12 per cent instead of 15 per cent the escalation factor mentioned in para 10:8 of the Report will stand altered to Rs. 11·373 per tonne.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy of it be communicated to all concerned.

K. S. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु, विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 12 जून, 1970

सं० 3 (6) मैटल/69.—एन्टीमोनी के उचित विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में शुल्क आयोग की रिपोर्ट (1966) के अनुसरण में भारत सरकार देश में एन्टीमोनी के एक मात्र उत्पादक मैसर्स स्टार मैटल रिफाइनरी, द्वारा उत्पादित एन्टीमोनी धातु का उचित विक्रय मूल्य नियत करती रही है। नवम्बर 1968 में शुल्क आयोग ने यह बताया था कि एन्टीमोनी के मूल्य को फिर से नियत किये जाने के सम्बन्ध में जांच आवश्यक है। अतः शुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 12 (घ) के अधीन शुल्क आयोग से यह अनुरोध किया गया कि वह कम्पनी द्वारा उत्पादित एन्टीमोनी धातु के लिये उचित मूल्य की जांच करे एवं मूल्य वृद्धि की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया/फार्मूला सुनिश्चित करे तथा सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

2. शुल्क आयोग ने एन्टीमोनी के उचित विक्रय मूल्य पर अपनी रिपोर्ट 21 जून, 1969 को प्रस्तुत की, जिस में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

(1) "हम सिफारिश करते हैं कि राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला तथा अन्य उपयुक्त अभिकरणों के साथ परामर्श करके अयस्क में से धातु की प्राप्ति के लिये गहन प्रयास किये जायें।"

2) "अगले पांच वर्षों के दौरान 10 से 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ बैटरी बनाने वालों की वर्तमान (1969) मांग का अनुमान 350 मैट्रिक टन का लगाया जाता है। अन्य उद्योगों अर्थात् सम्मिश्रण उत्पादकों, सरकारी विभागों और टाइप फाउंड्रियों

सहित विविध उपभोक्ताओं की 1969 में मांग क्रमशः 250, 350 और 50 मैट्रिक टन की जा सकती है। अगले पांच वर्षों के दौरान इन मदों के सम्बन्ध में 5 से 10 प्रतिशत के बीच वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार भावी मांग का अनुमान, 1969 के लिये 1000 मैट्रिक टन, 1970 के लिये 1100 से 1175 मैट्रिक टन तक और 1971 के लिये 1175 से 1275 मैट्रिक टन तक होगा।"

(3) "कुछ समय पूर्व कम्पनी ने निजी बातचीत के द्वारा ईरानी अयस्क का एक छोटा प्रेषण अभिप्राप्त किया था। हम यह महसूस करते है कि इससे सरकारी स्तर पर बातचीत की कुछ गुंजाईश हो सकती है। हम अलोह धातुओं विषयक आयोजना दल के उपदल 3 द्वारा दिये गये इस सुझाव का भी समर्थन करेंगे कि उन विदेशी खान मालिकों के साथ जिन के पास अपने अयस्क के शोधन के लिये अपने प्रद्रावक नहीं हैं, शोधन करने और उनके विभिन्न मार्गकर के आधार पर धातु के रूप में अयस्क का पुनः निर्यात करने के लिये कोई समझौता करने या कार्यसंचालन-प्रबन्ध करने की संभावनाओं की खोज के साथ साथ उसी स्रोत से अयस्क की अपनी आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सप्लाई प्राप्त करना लाभप्रद होगा।"

(4) "लोक जांच में यह बताया गया था कि (अयस्क के व्यय के लिये) दो से तीन वर्षों की संविदाओं का व्यवहारिक प्रस्ताव है और सरकार इस सम्भाव्यता के प्रति जागरूक हैं। हम सुझाव देते हैं कि इस प्रकार की दीर्घ आवधिक संविदा करने की संभावना की अच्छी तरह से जांच की जाये।"

(5) "भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड जैसी संस्था इस उद्योग के लिये दीर्घ आवधिक आधार पर और निश्चित रूप से अधिक अनुकूल शर्तों पर भी सप्लाई प्राप्त करने की स्थिति में होगी या नहीं इस बात की भी कुछ जांच की जानी जरूरी है।"

(6) "हम ने चालू तथा अगले दो वर्षों के लिये मांग के अपने अनुमानों के आधार पर उत्पादन के स्तरों पर भावी लागतें निकाली हैं और आशा है कि सरकार विदेशी मुद्रा का नियतन करने के लिये तदनुसार कदम उठायेगी।"

(7) "हम सिफारिश करते हैं कि जुलाई-दिसम्बर 1969 के लिये मूल्य 10,312 रुपये प्रति मैट्रिक टन या 10.31 रुपये प्रति किलोग्राम नियत किया जाये। हम यह भी सिफारिश करते है कि 1970 और 1971 वर्षों के लिये अर्द्ध-वार्षिक काला-न्तराल पर नियत किया जाने वाला एन्टीमोनी का मूल्य भी कण्डिका 10.8 और उस के उप-कण्डिकाओं में निर्देशित समायोजना के अध्यधीन रहते हुए हमारे द्वारा पूर्ववर्ती कण्डिका में उपदर्शित आधार पर आंका जावे।"

(8) "मूल्य अवधि के दौरान यदि अयस्क पर शुल्कों के स्तर में कोई परिवर्तन होगा तो उपयुक्त समायोजन किये जाने होंगे"।

(9) "ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जब अयस्क मूल्यों एवं शुल्क दरों में भिन्नता हो सकती है। ऐसे मामलों में ऊपर 10.8, 10.8.1 तथा 10.2.2 में की कण्डिकाओं में उपवर्णित परिवर्तन करने के अतिरिक्त 2543 रुपये के विद्यमान शुल्क अवयव में पहिले ही से सम्मिलित धातु की प्रति मैट्रिक टन 11.5 रुपये की प्रमाला में अयस्क मूल्य में प्रत्येक एक प्रतिशत भिन्नता के लिये आगे आनुपातिक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा"।

(10) "यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक की हुई संविदा इसके किये जाने से 30 दिन की कालावधि के भीतर खान तथा धातु मन्त्रालय के उपयुक्त अधिकारी के साथ पंजीकृत की जावे। मन्त्रालय इस बात पर भी विचार कर सकेगा कि इन निवेदित दरों के अतिरिक्त उसके द्वारा विदेशों में हमारे संबंधित मिशनों को कुछ मुख्य सप्लायर्स से अयस्क एवं एन्टीमोनी धातु के मार्किट मूल्यों के संबंध में नियमित रूप से अर्थात् मासिक या त्रैमासिक कालांतर पर जानकारी देते रहने की प्रार्थना की जानी चाहिए अथवा नहीं।"

(11) "प्रत्येक छः महीनों की समाप्ति पर कम्पनी को वास्तविक आयात और उस कालावधि के दौरान इन [संविदाओं में से प्रत्येक पर भुगतान किया गया लागत, बीमा भाड़ा मूल्य उपवर्णित करते हुए सीमा शुल्क–बिल की प्रविष्टि का या लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र की प्रमाणीकृत प्रति द्वारा समर्थित पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना चाहिये"।

(12) यदि जनवरी तथा जुलाई के महीनों में मूल्यों को आख्यापित करने की वर्तमान प्रथा जारी रखी जाये तो इस समय सूची को बनाए रखने की दृष्टि से संविदाओं का पंजीकरण तथा छः माही विवरण का प्रस्तुत किया जाना इस अवधि से 30–45 दिन पूर्व होना चाहिये। किसी भी समायोजन के अध्याधीन जो राज्य करों में परिवर्तन द्वारा आवश्यक होगा जून से नवम्बर तक तथा दिसम्बर से मई तक का अयस्क का औसतन संविदित मूल्यों को ही क्रमशः जुलाई से दिसम्बर तक तथा जनवरी से जून तक की कालावधि के लिए मूल्य––निर्धारण के लिए अपना लिया जाए"।

(13) "हम ने पाया है कि बहुत से मामलों में चालू बाजार मूल्यों से पर्याप्त ऊंचे मूल्यों पर संविदाएं की गई हैं भले ही 1969 वर्ष के लिये चालू संविदाओं में यह असमानता नगण्य है। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे विचार में संबद्ध था तथा बतलाने योग्य था और उन विषयों में से एक है जिस पर मन्त्रालय भविष्य में संविदाओं के पंजीकरण तथा मूल्य भिन्नताओं को अनुमोदित करते समय ध्यान में रखें।

3. सरकार ने (1) में की सिफारिश को नोट कर लिया है और वह इसे राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला के ध्यान में लायेगी ।

4. सरकार ने (2), (4), (6), (10), (11), (12), (13) में की सिफारिशों को नोट कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये यथासम्भव कदम उठाये जायेंगे ।

5. सरकार ने (3) तथा (5) में की सिफारिशों को नोट कर लिया है और उन्हें खनिज तथा धातु व्यापार निगम के ध्यान में लायेगी ।

6. सरकार ने (7), (8) तथा (9) में की सिफारिशों पर सावधानी से विचार किया है और परिस्थितियों को विचार में रखते हुए निम्नलिखित उपान्तरण के अध्याधीन उन्हें स्वीकार कर लिया है ।

मैसर्स स्टार मैटल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेट द्वारा उत्पादित एन्टीमोनी के उचित विक्रय मूल्य के आकलन में मूल्यह्रास भत्ते के लिये व्यवस्था द्वि पारी कार्यकरण तक सीमित रखी जानी चाहिये तथा निवेषित पूंजी पर प्रतिफल 12 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिये । तद्नुसार जुलाई—दिसम्बर 1969 के लिये मूल्य 10,207 रुपये प्रति मैट्रिक टन या 10.21 प्रति किलोग्राम पर निकत किया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रतिफल की मात्रा को 15 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत तक रखने के परिणाम स्वरूप रिपोर्ट की कण्डिका 10.8 में उल्लिखित वृद्धि का घटक 11.373 प्रति मैट्रिक टन तक परिवर्तित कर दी जायेगी ।

आदेश

आदेश दिया कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और इसकी एक प्रति सभी सम्बद्ध को सम्प्रेषित की जाये ।

के० एस० रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970